संख्या-116/78-1-2018-25/2012टीसी-1

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2018

विषयः "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" के बिन्दु 5.5.1 पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान के लीज/रेन्टल में छूट, प्रस्तर 5.5.2 विद्युत उपादान तथा प्रस्तर 5.6 बुन्देलखण्ड/पूर्वान्चल क्षेत्र हेतु विशेष प्रोत्साहन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1133/78-1-2017-25/2012 दिनांक 14 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016" को अवक्रमित करती है।

2- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" के प्रस्तर संख्या 5.5.1 "पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान के लीज/रेन्टल में छूट", प्रस्तर 5.5.2 "विद्युत उपादान" तथा प्रस्तर 5.6 बुन्देलखण्ड /पूर्वान्चल क्षेत्र हेतु विशेष प्रोत्साहन में निम्नवत व्यवस्था की गई है:-

5.5.1 पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान के लीज/रेन्टल में छूट

- राज्य में स्थापित एवं आईटी सिटी/आईटी पार्क्स अथवा अन्य अधिसूचित स्थान में पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान से परिचालनरत एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक रू 10 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा सहित, लीज/ रेन्टल चार्जेस की 25 प्रतिशत के समतुल्य की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

5.5.2 विद्युत उपादान

- एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयां, व्यवसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक विद्युत बिलों में 25 प्रतिशत उपादान अथवा रू 30 लाख, जो भी न्यूनतम हो, की प्राप्ति हेतु पात्र होंगी।

5.6 बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र हेतु विशेष प्रोत्साहन

उपरोक्त वर्णित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र की सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाइयां निम्नलिखित अतिरिक्त प्रोत्साहन की पात्र होंगी:-

5.6.1 पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान के लीज/रेन्टल में छूट

- बुन्देलखण्ड/पूर्वांचल क्षेत्र में स्थापित एवं आईटी सिटी/आईटी पार्क्स अथवा अन्य अधिसूचित स्थान में पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान से परिचालनरत सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा/बी.पी.ओ. इकाइयों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि रू 20 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा सहित, लीज रेन्टल चार्जेस की 50 प्रतिशत के समतुल्य की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

5.6.2 <u>विद्युत उपादान</u>

- सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा/बी.पी.ओ. इकाइयां को व्यवसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक विद्युत बिलों में 50 प्रतिशत उपादान जिसकी अधिकतम सीमा रू 50 लाख होगी, की प्राप्ति हेतु पात्र होंगी।

3- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" में प्रदत्त उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश स्थित एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों को एवं बुन्देलखण्ड/पूर्वांचल क्षेत्र में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा/बी.पी.ओ. इकाइयों हेतु निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे:-

3.1 राज्य में स्थापित एवं आईटी सिटी/आईटी पार्क्स अथवा अन्य अधिसूचित स्थान में पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान से परिचालनरत एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक रू 10 लाख प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा सहित, लीज/रेन्टल चार्जेस की 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

3.2 बुन्देलखण्ड/पूर्वान्चल क्षेत्र में स्थापित एवं आईटी सिटी/आईटी पार्क्स अथवा अन्य अधिसूचित स्थान में पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान से परिचालनरत सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा/बी.पी.ओ. इकाइयों को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि रू 20 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा सहित, लीज रेन्टल चार्जेस की 50 प्रतिशत के समतुल्य की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

3.3 एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों को व्यवसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से विद्युत बिलों में 25 प्रतिशत उपादान, रू 30 लाख की अधिकतम सीमा सहित, जो भी पहले हो, की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। बुन्देलखण्ड/पूर्वांचल क्षेत्र में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा/बी.पी.ओ. इकाइयों हेतु यह उपादान 50 प्रतिशत होगा जिसकी अधिकतम सीमा रू 50 लाख होगी।

4- उपरोक्त हेतु पात्र इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी:-

1 <u>अनुदान हेतु इकाइयों की पात्रता</u>

राज्य में स्थापित एवं आईटी सिटी/आईटी पार्क्स अथवा अन्य अधिसूचित स्थान में अवस्थित एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा सम्बन्धी तथा ऐसी नई बी.पी.ओ इकाईयां जिनके द्वारा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों।

2 <u>आच्छादन</u>

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

3 <u>परिभाषायें</u>

एतद्द्वारा संलग्न, अनुलग्नक-स के अनुसार

4 <u>इकाइयों/इन्क्यूबेटर्स को लीज/रेन्टल्स की पूर्ति की प्रक्रिया</u>

4.1 लीज/रेन्टल्स की प्रतिपूर्ति हेतु इकाई द्वारा अपने आवेदन अनुलग्नक-अ पर आवरण पत्र सहित, निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-ब) पर त्रैमासिक आधार पर नोडल एजेन्सी को प्रस्तुत किये जायेंगे जिनका परीक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नोडल एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

4.2 इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को लीज रेन्टल्स की प्रतिपूर्ति हेतु अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

4.3 आवेदन-पत्र के साथ, लीज/रेन्टल्स अनुबन्ध, वचन-पत्र (अनुलग्नक-द) तथा भुगतान किये गये किराये की रसीद की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

4.4 पिछले त्रैमास के लिए लीज/रेन्टल्स की प्रतिपूर्ति हेतु इकाई द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि अगले त्रैमास की 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर तथा 31 मार्च होगी।

5 <u>एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों/बी.पी.ओ. इकाइयों को विद्युत बिल उपादान की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया</u>

5.1 इकाई को विद्युत बिल उपादान धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन, अदा किये गये बिलों की सत्यापित प्रति सहित, अर्द्धवार्षिक आधार पर प्रस्तुत किये जायेंगे जिनका परीक्षण नोडल एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

5.2 इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को विद्युत बिल उपादान स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

5.3 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त इकाई को तीन वर्ष की अवधि तक विद्युत बिलों में 25 प्रतिशत उपादान (बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र हेतु 50 प्रतिशत), रू 30 लाख (बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र हेतु रू 50 लाख), की अधिकतम सीमा सहित, जो भी पहले हो, बिलों की वास्तविक धनराशि के आधार पर अवमुक्त की जायेगी।

5.4 31 मार्च तथा 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली छमाही के लिए विद्युत बिल उपादान धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु इकाई द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि क्रमशः 30 जून तथा 31 दिसम्बर होगी।

6 <u>न्यायालय का क्षेत्राधिकार</u>

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

7 <u>व्यय भार</u>

प्रोत्साहन धनराशि के भुगतान में आने वाले सभी व्यय जिसमें आवश्यकतानुसार विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सालिस्टर शुल्क व अन्य आनुसंगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई के द्वारा देय होगा।

8 <u>प्रोत्साहन अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड</u>

इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि उसके द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल की जायेगी तथा धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई/संस्थान के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

5- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017 में निहित व्यवस्थानुसार, किसी भी इकाई को समस्त स्रोतों से अनुमन्य होने वाला वित्तीय प्रोत्साहन, उस इकाई के स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

6- आईटी एवं इलेक्ट्रानिकस अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-777/78-1-2016-25/2012टीसी-7 दिनांक 01 सितम्बर 2016 को एतद्द्वारा अवक्रमित किया जाता है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-116(1)/78-1-2018 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2 प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
4 अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5 औद्योगिक विकास शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन
6 कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
7 आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश।
8 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
9 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।
10 गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरी राम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।